FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0266 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2026 17:23 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 14/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/08/2026

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:30 बजे **Time To (समय तक):** 21:30 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2026 17:23:44 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** HOUSINGH BOARD COLONY ROAD, KASBA ANTA JILA BARAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KAUSHAL KISHOR YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KANHAIYALAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TALAWARA ROAD, BABJI NAGAR, BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TALWARA MAUTHPUR, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	HAWAI SINGH YADAV		पिता:BANWARI LAL YADAV	1. RAILWAY LINE KE PASS,NATH KI NANGAL,WAYA MAUNDA, TH- NEEM KA THANA,SIKAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		45,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 45,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2026 समय 02.30 पी.एम. पर मन अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा के समक्ष परिवादी श्री कौशल किशोर यादव पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति यादव उम्र 39 साल निवासी ग्राम तलावडा मौठपुर जिला बारां हाल बाबजी नगर, तलावडा रोड बारां (मो0न0) उपस्थित हुआ। तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि ‘‘मेरा अन्ता में प्रोपर्टी का व्यवसाय है। मैने 3-4 प्लानिंग अन्ता के आस पास काट रखी है। मैने दो वर्ष पहले अन्ता में जमीन खरीद कर गोकुल धाम कॉलोनी काटी थी। मैने जमीन मालिको को उनके पैसे दे दिए थे, और उनसे एग्रीमेन्ट लिखवा लिया था। इसके बाद जमीन की कीमतें बढ जाने से खातेदारों को लालच आ गया और उन्होनें उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। इस पर मैनें एग्रीमेन्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट अन्ता से जमीन के बैचान पर एक साल पहले स्टे लिया था। वर्तमान में मेरे और जमीन मालिको के बीच समझौता हो जाने पर मैने उक्त स्टे को हटाने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे दिया था। उक्त स्टे को हटाने के लिए एसडीएम अन्ता हवाई सिंह यादव मुझसे बतौर रिश्वत पचास हजार की मांग कर रहा है। इसके अलावा मेरी एक और प्लानिंग खातेदार आमना बैगम व अन्य की जमीन पर मैंने सांवरिया रेजीडेन्सी के नाम से प्लानिंग काटी है। इस जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत नोट पूर्व की एसडीएम मैडम अन्ता ने लगाया था। इस जमीन पर लगे उक्त नोट को हटवाने हेतु वर्तमान एसडीएम हवाईसिंह यादव द्वारा मुझसे पांच लाख रूपये की रिश्वत मांगी जा रहीं है। मै एसडीएम हवाईसिंह यादव को रिश्वत के रूप में पांच लाख पचास हजार रूपये नही देना चाहता हूं, और उसे रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं, मेरा उनसे कोई उधारी या लेन देन बकाया नही है ना ही कोई लडाई झगडा है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे‘‘। फरियादी के प्रार्थना व दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का होने से शिकायत का सत्यापन कराया जाना आवश्यक हैं, अतः श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनि.ब्यूरो कोटा श्री विजय स्वर्णकार तारीक पेशी में बाहर होने से जर्ये मोबाईल हालात निवेदन किये गए तथा निर्देशानुसार कार्यालय के मालखाना से श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाकर परिवादी श्री कौशल यादव को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपूर्द किया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द एवं चालू करवाने की विधि समझाई गई। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित श्री योगेश कुमार कानि 291 को अपने चेम्बर में बुला कर परिवादी कौशल किशोर यादव से आपसी परिचय करवाया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द कर फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब कर शामिल फाईल की गई। श्री योगेश कुमार कानि0 291 को आवश्यक निर्देश देकर परिवादी श्री कोशल किशोर यादव के साथ कस्बा अन्ता, जिला बारां के लिए रवाना किया। रात्री को समय 09.30 पी.एम. पर श्री यागेेश कानि0 291 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को जर्ये मेाबाईल व्हाट्अप कॉल कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मै परिवादी के साथ कार्यालय से रवाना होकर करिबन 5.25 पी.एम बजे अन्ता पहुंच गया था, यहां पहुंचने के बाद परिवादी के कार्यालय कौशल प्रोपर्टी से परिवादी ने हवाईसिंह यादव से रिश्वत मांग के सत्यापन के क्रम में मिलकर वार्ता करने के क्रम में व्हाट्अप कॉल किया, जिस पर एसडीएम हवाई सिंह यादव ने कहा कि मै फोन करता हूं आपको फ्रि होके इसके बाद समय करिबन 07.39 पी.एम. तक एसडीएम का कोई कॉल नहीं आया तो परिवादी ने पुनः एसडीएम हवाईसिंह यादव को व्हाट्अप कॉल किया जिस पर एसडीएम ने कॉल रिसीव किया तो परिवादी ने कहा कि सर मै आप से मिलना चाह रहा था, जिस पर एसडीएम ने कहा कि ठीक है दस मिनट बाद आ जाओ। उपरोक्त दोनों मोबाईल वार्ताओं को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, इसके बाद समय करीबन 07.45 पी.एम पर परिवादी स्वयं की मोटर साईकिल से तथा मै अन्य वाहन कार से परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे-पीछे रवाना होकर हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी रोड पर पहुंचे तो परिवादी अपनी मोटर साईकिल को खडी करके सामने से आते हुए एक व्यक्ति से बातें करने लगा तथा दोनो आपस में बात करते हुए पास ही स्थित एक मकान में चले गए तथा करीबन 40-45 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया तथा बताया कि अभी मैं जिस से बात करते हुए सामने वाले मकान में गया था वो एसडीएम हवाईसिंह यादव है तथा उस मकान में वो किराये से रहता है। मैने मेरे काम के संबंध में उससे बात की तो एग्रीमेन्ट पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में एसडीएम हवाई सिंह ने पचास हजार रुपये की मांग की थी, मेरे द्वारा बार बार पैसे कम करने की कहने पर पैतालीस हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ है तथा मेरी आमना बेगम वाली जमीन की प्लानिंग सांवरिया रेजीडेन्सी की

जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत पूर्व एसडीएम द्वारा लगाये गये उक्त नोट को हटवाने के लिए भी एसडीएम हवाईसिंह यादव द्वारा पांच लाख रूपये की मांग की गई है, तथा गोकुल धाम कोलोनी की जमीन पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में दिये जाने वाले पैतालिस हजार रूपये बारां निवासी मनीष जैन को देने के लिए कहा है, जो इस रिकार्डर में रिकार्ड हो गई है। परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द हालात में सुपुर्द किया है तथा रात्री का समय हो जाने के कारण परिवादी ने कोटा आने में असमर्थता जाहिर की है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री योगेश कुमार कानि0 291 को परिवादी को मौके से रूकसत कर मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा उपस्थित आने की हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री यागेेश कानि0 291 रात्री को समय 11.45 पी.एम. पर कार्यालय हाजा उपस्थित आया, मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर जर्ये मोबाईल बताये हालात दौहराये। मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मैमारी कार्ड में मौजूद तीन रिकार्डीग को सुना तो श्री योगेश कुमार कानि0 291 द्वारा पूर्व में जर्ये मोबाईल बताये गए कथनो की पुष्टि होती है, रिकार्ड वार्ताओं की ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से बनाई जावेगी। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड केा सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। परिवादी इस समय रात्री का समय अधिक हो जाने के कारण योगेश कुमार कानि0 के साथ उपस्थित नहीं आया है, इसलिए आईन्दा परिवादी के आने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाना जाना तय हुआ। दिनांक 15.08.2026 को समय 11.30 पी. एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनके कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री कौशल किशोर यादव द्वारा उनको पेश परिवादी के हस्तलिखित प्रार्थना पत्र थानाधिकारी थाना अन्ता भूपेश शर्मा द्वारा परिवादी के जमीन के विवाद में जमीन मालिक को पूरा पैमेंट थानाधिकारी को बिना बताये करने पर थानाधिकारी द्वारा एक लाख पचास हजार रूपये की रिश्वत की मांग करने का पेश किया तथा उस पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी को मय प्रार्थना पत्र के अपने कक्ष मे लेकर आया तथा अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु योगेश कानि. को कक्ष में बुलाकर परिचय करवाया गया तथा डीवीआर लेकर परिवादी के कहेनुसार सत्यापन करवाने के निर्देश दिये, कुछ समय पश्चात परिवादी ने कहा कि '' मैने अभी गोपनीय तरीके से पता किया है अन्ता सीआई साहब अभी थाने पर नहीं है मुख्यमंत्री जी के बारां आगमन की पूर्व तैयारियों हेतु बारंा गये हुए है तथा मेरे आज आवश्यक काम होने से मुझे बारां जाना है।'' अन्ता सीआई के बाहर होने तथा परिवादी के आवश्यक कार्य होने के कारण परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 17.08.2026 को समय 10.00 ए.एम. पर श्री योगेश कानि0 291 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज सुबह 8 बजे मेरे पास परिवादी कौशल किशोर यादव का कॉल आया था तथा उसने कहा कि आज हमारे यंहा पर कावड यात्रा का कार्यक्रम हैं इसलिए अगर मे जल्दी फ्री हो गया तो रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर कोटा आ जाऊंगा। चूंकि परिवादी ने कहा हैं कि वह कावड यात्रा कार्यक्रम से फ्री होते ही रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर कार्यालय हाजा आयेगा, अतः ट्रेप कार्यवाही की आज संभावना होने सें कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षैत्रीय कार्यालय कोटा के नाम जारी कर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने हेतु श्री मनोज कुमार कानि. 211 को मय तहरीर रवाना किया गया जो समय 12.05 पी.एम. मय स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह सोलंकी पुत्र स्व.श्री मोहन सिंह सोलंकी जाति राजपूत उम्र 54 साल निवासी मकान नम्बर बी-107 श्री कैलाश पुरी केनाल रोड कुन्हाडी कोटा हाल प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षैत्रीय कार्यालय कोटा व श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री देवकीनन्दन शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 49 साल निवासी- नेहरू प्लेस एक्सटेंशन नगला रामबल बसैरा कोलोनी नियर गल्ला मण्डी टूण्डला रोड आगरा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षैत्रीय कार्यालय कोटा के कार्यालय हाजा उपस्थित आया। उपस्थित गवाहान से मन उप अधीक्षक पुलिस ने आपसी परिचय कर होने वाली ट्रेप कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु सहमति चाही तो दोनो गवाहन ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। तहरीरी को शामिल पत्रावली किया। समय 06.50 पी.एम.पर श्री योगेश कानि0 291 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि अभी 6.43 पी.एम पर मेरे पास परिवादी कौशल किशोर यादव का कॉल आया था तथा उसने कहा कि आज हमारे यंहा पर कावड यात्रा का कार्यक्रम था इसलिए में उसमें व्यस्थ था, इसलिए जल्दी फ्री नहीं हो सका इसलिए कोटा नहीं आ पाया। मैं कल सुबह रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर कोटा आ जाऊंगा। परिवादी के कल आने की संभावना हैं अतः मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान को सुबह 10.00 ए.एम पर एसीबी कार्यालय उपस्थित आने की मुनासिब हिदायत कर सकुशल रूकसत किया। दिनांक 18.08.2026 समय 10.00 ए.एम. पर पूर्व से तलवीदाशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह सोलंकी प्रशासनिक अधिकारी, व श्री घनश्याम शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षैत्रीय कार्यालय कोटा कार्यालय हाजा उपस्थित आए, तत्पश्चात समय 12.35 पी.एम. पर परिवादी कौशल किशोर यादव उपस्थित कार्यालय हाजा आया। जिसका उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह सोलंकी व श्री घनश्याम शर्मा से परिचय करवाया गया। इस पर दोनों गवाहान को परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।समय 12.40 पी. एम. पर स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह सोलंकी व श्री घनश्याम शर्मा के समक्ष परिवादी श्री कौशल किशोर यादव व

आरोपी हवाई सिंह यादव के मध्य दिनांक 14.08.2026 को हुई वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी श्री कौशल किशोर यादव द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया था, को श्री योगेश गोचर कानि0 291 के द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनो गवाहान को सुनाया गया, तो परिवादी ने रिकोर्डेड आवाज की पहचान कर एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी हवाई सिंह यादव की होना बताया। रिकोर्डेड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री योगेश कानि0 291 से जर्ये लेपटॉप नियमानुसार तैयार करवायी गयी। फर्द पर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह सोलंकी व श्री घनश्याम शर्मा के समक्ष परिवादी श्री कौशल किशोर यादव व आरोपी हवाई सिंह यादव के मध्य दिनांक 14.08.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में मिलने के लिए मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, को श्री योगेश गोचर कानि0 291 के द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनो गवाहान को सुनाया गया, तो परिवादी ने रिकोर्डेड आवाज की पहचान कर एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी हवाई सिंह यादव की होना बताया। रिकोर्डेड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री योगेश कानि0 291 से जर्ये लेपटॉप नियमानुसार तैयार करवायी गयी। फर्द पर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई इसके बाद स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कौशल किशोर यादव व आरोपी हवाई सिंह यादव के मध्य दिनांक 14.08.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में मिलने के लिए दूसरी बार मोबाईल पर हुई वार्ता जिसे परिवादी द्वारा अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, को श्री योगेश गोचर कानि0 291 के द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉडर मय मेमोरी कार्ड को लेपटॉप मे कनेक्ट कर वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनो गवाहान को सुनाया गया, तो परिवादी ने रिकोर्डेड आवाज की पहचान कर एक आवाज अपनी स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी हवाई सिंह यादव की होना बताया। रिकोर्डेड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री योगेश कानि0 291 से जर्ये लेपटॉप नियमानुसार तैयार करवायी गयी। फर्द पर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 04.15 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान श्री अजीत सिंह सोलंकी व श्री घनश्याम शर्मा के समक्ष परिवादी श्री कौशल किशोर यादव ने श्री हवाई सिंह यादव एसडीएम अन्ता जिला बारां को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैंः-

क्र. सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर

1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1AW686188
2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0NS825422
3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2EM885712
4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9NV429504
5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1DG131476
6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3UA543163
7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FQ192831
8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FQ192832
9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FQ192823
10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FQ192822
11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FQ192816
12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0DC832302
13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0PF885224
14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9AB604489
15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1KV274805
16. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3PV917071
17. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1MG704701
18. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8AQ113187
19. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4ND537519
20. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4NS679241
21. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8MW144158
22. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7AE856897

23. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8AF081958
24. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6DT578537
25. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8DP924017
26. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1GR038779
27. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8CE996870
28. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5EC077350
29. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7SL806836
30. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2QG865651
31. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2NB549409
32. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8KP350874
33. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5AM135480
34. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1CC262163
35. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6NB015206
36. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7HV260362
37. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8RQ608164
38. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1WM085486
39. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FM228300
40. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3SF789762
41. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5EV747673
42. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1EL652339
43. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1EA801544
44. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3BR101020
45. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0VM350381
46. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5GH576024
47. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8AK694990
48. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QN100722
49. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8PL281277
50. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6FQ993507
51. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6DC111770
52. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QP146815
53. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1GC352223
54. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1HS632535
55. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4UB683090
56. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9PB174174
57. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9EH555767
58. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5QF513767
59. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9AD462417
60. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5VT888370

श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से मालखाना में रखे फिनोल्फ्थीलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोल्फ्थीलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री कौशल किशोर यादव की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अजीत सिंह से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के साठ नोट कुल 30,000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब मे श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी

हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दिये जाने वाले नोटों पर फिनोल्फ्थीलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक के हाथों एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी कौशल किशोर यादव को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री गौरव नागर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय एसीबी चौकी कोटा पर रहने की हिदायत दी गई।फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये, फर्द पेशकशी को शामिल फाईल किया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे कि परिवादी कौशल किशोर यादव ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैने गोपनीय रूप से हवाई सिंह यादव एस.डी.एम. अन्ता अपने कार्यालय में है या नहीं बाबत जानकारी की तो हवाई सिंह यादव अभी अपने कार्यालय में नहीं हैं वह किसी कार्य से जयपुर गया हुआ है, चूंकि भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा सें ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने से पूर्व परिवादी ने आरोपी हवाई सिंह यादव की उपस्थिती जानने बाबत जानकारी की तो आरोपी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं होकर जयपुर होना बताया तथा दलाल मनीष भी बांरा से बाहर जाना ज्ञात हुआ हैं, अतः आरोपी के अपने पदस्थापन स्थान पर आने पर ट्रेप कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। ट्रेप कार्यवाही आईन्दा की जानी हैं, अतः आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के साठ नोट को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे मे रखकर तथा परिवादी के पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मालखाने में सुरक्षित रखवाये गये तत्पश्चात समय 5.50 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया।दिनांक 20.08.2026 को समय 04.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री योगेश कानि. 291 ने बताया कि आज परिवादी कौशल किशोर यादव का मेरे पास तीन चार बार कॉल आया हैं तथा उसने कहा हैं कि मेरे द्वारा हवाई सिंह यादव के विरूद्ध करवाई जाने वाली कार्यवाही की उसको भनक लग गई हैं, इसलिए हवाई सिंह यादव ने मुझे मैसेज करवाया हैं तथा मेरे समाज वालों सें मुझ पर दबाव डलवा रहा हैं। अब हवाई सिंह यादव की ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पायेगी, अतः में दो चार दिन में समय मिलते ही आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। चूंकि परिवादी ने बताया हैं कि आरोपी हवाई सिंह यादव के विरूद्ध उसके द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही की भनक लग गई हैं, अतः परिवादी के आईन्दा कार्यालय में उपस्थित होने पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 10.09.2026 को समय 03.30 पी.एम. पर परिवादी कौशल किशोर यादव कार्यालय में उपस्थित आया तथा एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया जो इस आशय का है- महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 14.08.2026 को श्रीमान के कार्यालय में उपस्थित होकर एस.डी.एम. अन्ता हवाई सिंह को रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था। प्रार्थना पत्र में मेरे द्वारा अकित किया था कि- मैने दो वर्ष पहले अन्ता में जमीन खरीद कर गोकुल धाम कॉलोनी काटी थी, मैने जमीन मालिको को उनके पैसे दे दिए थे, और उनसे एग्रीमेन्ट लिखवा लिया था। इसके बाद जमीन की कीमतें बढ जाने से खातेदारों को लालच आ गया और उन्होनें उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। इस पर मैनें एग्रीमेन्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट अन्ता से जमीन के बैचान पर एक साल पहले स्टे लिया था। वर्तमान में मेरे और जमीन मालिको के बीच समझौता हो जाने पर मैने उक्त स्टे को हटाने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे दिया था। उक्त स्टे को हटाने के लिए एसडीएम अन्ता हवाई सिंह यादव मुझसे बतौर रिश्वत पचास हजार की मांग कर रहा है। इसके अलावा मेरी एक और प्लानिंग खातेदार आमना बैगम व अन्य की जमीन पर मैंने सांवरिया रेजीडेन्सी के नाम से प्लानिंग काटी है। इस जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत नोट पूर्व की एसडीएम मैडम अन्ता ने लगाया था। इस जमीन पर लगे उक्त नोट को हटवाने हेतु वर्तमान एसडीएम हवाईसिंह यादव द्वारा मुझसे पांच लाख रूपये की रिश्वत मांग की जा रही हैं। मेरे द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में श्रीमान द्वारा कार्यवाही करते हुय मुझसें आरोपी हवाई सिंह यादव से रिश्वत मांग का सत्यापन दिनांक 14.08.2026 सांयकाल, करवाया था, सत्यापन में हवाई सिंह द्वारा मुझसें एग्रीमेन्ट पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में पचास हजार रूपये की मांग की थी, मेरे द्वारा बार बार पैसे कम करने की कहने पर पैतालीस हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ था तथा मेरी आमना बेगम वाली जमीन की प्लानिंग सांवरिया रेजीडेन्सी की जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत पूर्व एसडीएम द्वारा लगाये गये उक्त नोट को हटवाने के लिए भी एसडीएम हवाईसिंह यादव द्वारा पांच लाख रूपये की मांग की गई थी, तथा गोकुल धाम कोलोनी की जमीन पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में दिये जाने वाले पैतालिस हजार रूपये बारां निवासी मनीष जैन को देने के लिए कहा था।तत्पश्चात दिनांक 18.08.2026 को मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 30,000 रू. लेकर श्रीमान के

कार्यालय में आया था तथा बताया था कि मेरी एस.डी.एम. साहब सें 45000 रू. में बात हुई थी किन्तु मैं उनको अभी 30,000 रू. देकर बाकी रकम बाद में देने के लिए सहमत कर लूंगा इसलिए अभी आप एसी.डी.एम. को दि जाने वाली रिश्वत राशि हेतु इन 30,000 रू. के नोटों पर ही कलर लगाकर मुझे दे दो। इसके बाद आपने उक्त 30,000 रू. के नोटों पर पाउडर लगवाया था तथा उसकी प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर मुझे व गवाहान को समझाया था, इसके बाद मैने आरोपीगण के बारे में तलाश किया था तो आरोपीगण हवाई सिंह यादव अन्ता में मौजूद होना नहीं पाया जाने पर मैने आपको बताया था कि हवाई सिंह यादव आज अन्ता नहीं हैं, अतः ये कार्यवाही उसके आने के बाद ही करेंगे। तत्पश्चात आपने मुझसें रिश्वत राशि लिफाफे में रखवाकर प्राप्त की थी। इसके बाद तीन चार दिन तक एस.डी.एम. हवाई सिंह यादव अन्ता नहीं आया था तथा उसने मुझे मेरे समाज वालों सें तथा मेरे मिलने वालों सें मैसेज करवाया हैं कि मैं उसको पकडवाने के लिए एसीबी में चला गया था उसके विरूद्ध एसीबी में कार्यवाही करवाने वाला हूं। अतः आरोपीगण को मेरे द्वारा करवाई जाने वाली कार्यवाही का पता चल गया हैं इसलिए हवाई सिंह यादव तथा उसका दलाल मनीष जैन मुझसें रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेंगे। अतः आप मेरे द्वारा आपको दिनांक 18.08.2026 को पेश रिश्वत राशि को वापस लौटाने तथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थनापत्र में अंकित हैं कि आरोपी को भनक लग जाने के कारण आरोपी अब परिवादी सें रिश्वत राशि ग्रहण नहीं करेगा अतः परिवादी को नियमानुसार रिश्वत में देने के लिए पेश राशि 30,000 रू. लौटाई जानी हैं तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जानी हैं, अतः प्रकरण में पूर्व में बुलाये गये गवाहान को जरिये मोबाईल कार्यालय में उपस्थित आने हेतु अवगत कराया तो गवाह अजीत सिंह ने बताया कि पूर्व में मेरे साथ आये गवाह की चुनाव में ड्यूटि लगी हुई हैं अतः मेरे साथी घनश्याम शर्मा मेरे साथ आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पायेंगे, इस पर श्री अजीत सिंह को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये, चूंकि गवाह अजीत सिंह ने बताया हैं कि उनके साथी गवाह की चुनाव ड्यूटि लग गई हैं अतः उसके स्थान पर दूसरा गवाह लाने हेतु पुनः एक तहरीर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षैत्रीय कार्यालय कोटा के नाम जारी कर श्री योगेश कानि. को रवाना किया गया, जो समय 4.30 पी.एम. कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षैत्रीय कार्यालय कोटा से स्वतंत्र गवाह श्री डबर सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह जाति राजपूत उम्र 58 साल निवासी- मकान नं. बी, 28, चादंमारी बालाजी टाउन, खेडली फाटक कोटा तथा श्री अजीत सिंह, प्रशासनिक अधिकारी के चौकी हाजा उपस्थित आया। समय 4.40 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री कौशल यादव का दोनों स्वतंत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के क्रम में पूर्व में हुई समस्त कार्यवाही से अवगत कराया, तत्पश्चात परिवादी द्वारा दिनांक 10.09.2026 को पेश रिश्वत में दी जाने वाली राशि लौटाने व प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने के प्रार्थनापत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवाकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया, तत्पश्चात समय 5.00 पी.एम. पर मालखाने में रखे डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं का मूल मेमोरी कार्ड निकलवाया गया तथा परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 14.08.2026 को परिवादी कौशल किशोर यादव व आरोपी हवाई सिंह यादव, एस.डी.एम. अन्ता जिला बारां के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फाईल 260814_1954 एवं उक्त वार्ता के अलावा दिनांक 14.08.2026 को 260814_1726, एवं 260814_1939 फाईल भी रिकार्ड हुई है, जो मैमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकार्ड की गई हैं। उक्त वार्ताओं की 3 फाईलों की हैश वेल्यू निकालकर उसके प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल की गई तथा श्री योगेश कानि0 291 के द्वारा उपरोक्त मैमोरी कार्ड से तीनों रिकार्डिंग की फाईलों को लेपटोप में लिवाया जाकर कॉपी पेस्ट कर Sandisk cruzer blade 32 GB के चार पेन ड्राईव में लेकर पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेनड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेनड्राईव आरोपी के लिये पृ़थक-पृ़थक कपडे की थैली मे रखकर सीéल्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड उसके कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे अनसील्ड रखकर शामिल पत्रावली किया गया।फर्द डबिंग व जब्ती पेन ड्राईव एवं मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। शील्डशुदा पैकेट केा मालखाना प्रभारी आशिक हुसैन सउनि से मालखाना में जमा करवाया गया। समय 06.00 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान अजीत सिंह एवं डबर सिंह के समक्ष परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लौटाये जाने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में परिवादी कौशल किशोर यादव द्वारा आरोपी हवाइ सिंह यादव, एस.डी.एम. अन्ता, जिला बारां को रिश्वत में दिये जाने हेतु दी गई राशि पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रू. मालखाने सें निकलवाकर उन पर लगे हुए फिनोल्फथिलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करके नियमानुसार परिवादी श्री कौशल किशोर यादव पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति यादव उम्र 39 साल निवासी ग्राम तलावडा मौठपुर जिला बारां हाल बाबजी नगर, तलावडा रोड बारां को सुपुर्द किये गए। फर्द सुपुर्दगी पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई, तत्पश्चात परिवादी श्री कौशल किशोर यादव को मय लौटाई गई राशि 30,000 रूपये के तथा स्वतंत्र गवाहान श्री अजीत सिंह एवं घनश्याम शर्मा, को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी कोटा से सकुशल रूखसत किया गया। अब तक हुई कार्यवाही से पाया गया हैं कि - दिनांक 14.08.2026 को मन

अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा के समक्ष परिवादी श्री कौशल किशोर यादव ने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें अंकित किया था कि "मेरा अन्ता में प्रोपर्टी का व्यवसाय है। मैने 3-4 प्लानिंग अन्ता के आस-पास काट रखी है। मैने दो वर्ष पहले अन्ता में जमीन खरीद कर गोकुल धाम कॉलोनी काटी थी। मैने जमीन मालिको को उनके पैसे दे दिए थे, और उनसे एग्रीमेन्ट लिखवा लिया था। इसके बाद जमीन की कीमतें बढ जाने से खातेदारों को लालच आ गया और उन्होनें उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई। इस पर मैनें एग्रीमेन्ट के आधार पर एसडीएम कोर्ट अन्ता से जमीन के बैचान पर एक साल पहले स्टे लिया था। वर्तमान में मेरे और जमीन मालिको के बीच समझौता हो जाने पर मैने उक्त स्टे को हटाने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे दिया था। उक्त स्टे को हटाने के लिए एसडीएम अन्ता हवाई सिंह यादव मुझसे बतौर रिश्वत पचास हजार की मांग कर रहा है। इसके अलावा मेरी एक और प्लानिंग खातेदार आमना बैगम व अन्य की जमीन पर मैंने सांवरिया रेजीडेन्सी के नाम से प्लानिंग काटी है। इस जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत नोट पूर्व की एसडीएम मैडम अन्ता ने लगाया था। इस जमीन पर लगे उक्त नोट को हटवाने हेतु वर्तमान एसडीएम हवाईसिंह यादव द्वारा मुझसे पांच लाख रूपये की रिश्वत मांगी जा रहीं है। मै एसडीएम हवाईसिंह यादव को रिश्वत के रूप में पांच लाख पचास हजार रूपये नही देना चाहता हूं, और उसे रिश्वत राशि देते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं, मेरा उनसे कोई उधारी या लेन देन बकाया नही है ना ही कोई लडाई झगडा है। रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने की कृपा करे"। परिवादी की शिकायत के क्रम में रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो पाया गया हैं कि परिवादी की प्लानिंग गोकुल धाम कोलोनी की जमीन के एग्रीमेन्ट पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में एसडीएम हवाई सिंह ने परिवादी से पचास हजार स्पये की मांग की, परिवादी द्वारा बार बार पैसे कम करने की कहने पर हवाई सिंह यादव पैतालीस हजार रूपये लेने पर सहमत हुआ तथा परिवादी की आमना बेगम वाली जमीन की प्लानिंग सांवरिया रेजीडेन्सी की जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत पूर्व एसडीएम द्वारा लगाये गये नोट को हटवाने के लिए भी एसडीएम हवाईसिंह यादव द्वारा पांच लाख रूपये की मांग की गई तथा गोकुल धाम कोलोनी की जमीन पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में पचास हजार रू. रिश्वत की जगह पैतालिस हजार रू. रिश्वत राशि बारां निवासी मनीष जैन को देने के लिए कहा, जो कार्यालय के रिकार्डर में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हुई है, तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही के आयोजन से पूर्व आरोपी को कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही नहीं हो सकी, अतः परिवादी द्वारा पुनः भ्रनिब्यूरो को रिश्वत मे दी जाने वाली राशि वापस लौटाने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में अग्रिम कार्यवाही की गई।अतः परिवादी की प्लानिंग गोकुल धाम कोलोनी की जमीन के एग्रीमेन्ट पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में एसडीएम हवाई सिंह यादव द्वारा परिवादी से पचास हजार स्पये की मांग करने, परिवादी द्वारा बार बार पैसे कम करने की कहने पर पैतालीस हजार रूपये लेने पर सहमत होने तथा परिवादी की आमना बेगम वाली जमीन की प्लानिंग सांवरिया रेजीडेन्सी की जमीन पर बिना कन्वर्जन प्लॉट नहीं काटे जाने बाबत पूर्व एसडीएम द्वारा लगाये गये नोट को हटवाने के लिए भी पांच लाख रूपये की मांग करने तथा गोकुल धाम कोलोनी की जमीन पर लगे हुए स्टे को हटाने की एवज में दिये जाने वाले पचास हजार रू. की जगह पैतालिस हजार रू. लेने पर सहमत होने व उक्त रिश्वती राशि पैतालिस हजार रूपये बारां निवासी मनीष जैन को देने के लिए कहने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की परिधि में आता हैं, अतः आरोपी श्री हवाई सिंह यादव पुत्र श्री बनवारी लाल यादव जाति यादव उम्र 41 वर्ष निवासी- रेल्वे लाईन के पास, मुकाम व पोस्ट नाथ की नांगल वाया माउण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है ।(अनिष अहमद),उप अधीक्षक, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।.....कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री हवाई सिंह यादव पुत्र श्री बनवारी लाल यादव जाति यादव उम्र 41 वर्ष निवासी- रेल्वे लाईन के पास, मुकाम व पोस्ट नाथ की नांगल वाया माउण्डा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कालूराम वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 247 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1530-33 दिनांक 18.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बांरा 2- शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KALU RAM VERMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 18/09/2026 17:26:04

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1985				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)